

# उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

क्रमांक B/4624 /चार-12-14/10

//आदेश//

जबलपुर, दिनांक 09/08/2021

श्री सुरेश सिंह, तत्कालीन अपर कल्याण आयुक्त भोपाल, गैस त्रासदी, भोपाल (वर्तमान में पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय, सीहोर) की सेवाएँ प्रतिनियुक्ति विभाग से अपने पैतृक विभाग को वापिस प्राप्त होने के फलस्वरूप चयनग्रेड वेतनमान रूपये 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में उनकी दिनांक 29.03.2021 की काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि निम्न तालिका अनुसार स्वीकृत की जाती है:-

चयन ग्रेड वेतनमान रूपये 57700-1230-58930-1380- 67210-1540-70290/- में प्राप्त वेतन व दिनांक	प्रतिनियुक्ति विभाग से अपने पैतृक विभाग वापिस लौटने का दिनांक	निर्धारित वेतन व वे0 वृद्धि का दिनांक	देय दिनांक	आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि का दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
63070.00 /- 29.03.2020	27.06.2021	64450.00 /- 29.03.2021	27.06.2021	29.03.2022

नोट:- 1. "मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 31.07.2020 के अंतर्गत उक्त न्यायिक अधिकारी की वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से देय होगी तथा स्थितियों सामान्य होने पर इसके वास्तविक वित्तीय लाभ प्रदाय करने के संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।

2. उक्त अधिकारी दिनांक 22.06.2020 से दिनांक 26.06.2021 तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

Sd/-

(अजय पवार)

रजिस्ट्रार(एम)

जबलपुर, दिनांक 09/08/2021

पृष्ठांकन क्रमांक B/4625 /चार-12-14/10

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. रजिस्ट्रार, कार्यालय वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल की ओर लेख है कि, आपके कार्यालय का पत्र क्र. 345/वे0के0/स्था0/2021 दिनांक 09.07.2021 के द्वारा प्रेषित श्री सुरेश सिंह, तत्कालीन अपर कल्याण आयुक्त, भोपाल की सेवा पुस्तिका इस रजिस्ट्री को प्राप्त हो चुकी है। सेवा पुस्तिका प्राप्ति की अभिस्वीकृति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री सुरेश सिंह, पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय, सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

डेमन

Raj Kumar  
9.8.2021  
रजिस्ट्रार(एम)